राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–16 (लो0सू0अ0)/2023–24
श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम–शेकहारा–2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट–बरौनी–851112, जिला–बेगूसराय, बिहार
बनाम
लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
04.05.2023	श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम–शेकहारा–2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट–बरौनी–851112, जिला–बेगूसराय, बिहार के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–29.04.2023 इस कार्यालय में दिनांक–03.05.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–60F 394129 दिनांक–17.04.2023 जो प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पक्ष में देय है, संलग्न है। इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु लेखा शाखा को भेजे। अपीलकर्त्ता श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–05.04.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना से असंतुष्ट होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–05.04.2023 की प्रति भी संलग्न की है। लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–05.04.2023 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–24.05.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 4/5/2023 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या–16 (लो०सू०अ०) / 2023–24

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
24.05.2023	दिनांक-04.05.2023 को पारित आदेश क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी के प्रपत्र 'क' दिनांक-05.04.2023 के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा यह सूचित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा दिये गए आवेदन दिनांक-06.12.2022 को जन शिकायत कोषांग के पत्रांक-47 दिनांक-18.04.2023 के माध्यम से विशेष कार्य पदाधिकारी, लोक शिकायत निवारण केन्द्र, सूचना भवन, पटना को अग्रसारित किया जा चुका है। उन्होंने विशेष कार्य पदाधिकारी, लोक शिकायत निवारण केन्द्र, सूचना भवन, पटना को भेजे गए पत्र की छाया-प्रति भी अपीलार्थी को अपने पत्रांक-54 दिनांक-21.04.2023 के माध्यम से प्रेषित की है। अपीलार्थी ने अपने प्रपत्र 'क' दिनांक-05.04.2023 के माध्यम से अपने आवेदन दिनांक-06.12.2022 (जो अवैध रूप से बनवाये गए इन्दिरा आवास का अंश भाग को हटाकर निजी जमीन को मुक्त कराने से संबंधित है) के क्रम में राज्यपाल सचिवालय द्वारा की गयी कार्रवाई से संबंधित सूचना की मांग की थी। उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय ने अपीलार्थी श्री गुप्ता को राज्यपाल सचिवालय द्वारा की गयी कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। अतः इस अपील आवेदन को अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तद्नुसार सभी संबंधित को सूचित करें। विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार	